

AIDWA



मई, 2022

न्यूज़ लैटर

1. संपादकीय

2. मई दिवस – हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों की एकता की रक्षा करने के लिए उठो!

- मरियम ढवले (राष्ट्रीय महासचिव, एडवा)

3. जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक उन्माद

- मैमूना मोल्लाह, अध्यक्ष, एडवा दिल्ली समिति

4. आगरा – पसंद के संवैधानिक अधिकार पर नफरत का साया

- मधु गर्ग (केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

5. 'जनवादी महिला समिति हरियाणा की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न'

- सविता (राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति हरियाणा इकाई)

6. खरगोन मध्य प्रदेश में प्रशासन की शह पर सांप्रदायिक तनाव

- वामपंथी दलों के संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट

7. 'कश्मीर फाइल्स' – 32 साल की 'खामोशी' और 'सच' के सामने आने का दावा

- अखिल विकल्प

8. मजदूरों का एक गीत

- मंजीत मानवी

9. मजबूत राष्ट्र में जो टूट नहीं पाये

- फरीद खां

10. नफरतों के दौर में मोहब्बत का पैगाम देती महिलायें – कुछ फोटो

संपादकीय

सुभाषिणी अली

(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवा)

देखते-देखते, पिछले 7 सालों में मनुवादी-हिंदुत्ववादी ताकतों ने सत्ता का पूरा इस्तेमाल करके, बहुत कुछ बदल डाला है। धर्म की परिभाषा, त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदल डाला है। अब धर्म का मतलब ही दूसरे धर्म मानने वाले लोगों से नफरत करना, त्योहार मनाने का तरीका हो गया है अपनी ताकत का प्रदर्शन करना और दूसरे धर्म को मानने वालों पर हमला करना। यही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के प्रति निष्ठा का अर्थ यह भी हो गया है कि ब्राह्मणवादी सोच का महिमामंडन किया जाये और जिन्हे छोटी जाति का समझा जाता है, उनके तमाम नागरिक अधिकारों को छीना जाए, उन्हें शिक्षा और बेहतर पेशों के क्षेत्रों से दूर किया जाये।

अबकी साल, रामनवमी, हनुमान जयंती और रमजान सब एक साथ पड़े। यह मौके होते थे आपस में प्रसाद बांटने के, अफतारी की फुलकियाँ और खजूर एक साथ खाने के और बच्चों के प्रिय हनुमान के जन्म की खुशियाँ मनाने के लेकिन अबकी साल ऐसा नहीं कुछ और ही हुआ। रामनवमी और हनुमान जयंती को संघ परिवार के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन और हमलावर आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया। जो कुछ मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ, वह ऐसे ही नहीं हुआ। उसकी तैयारी आरएसएस की शाखाओं, वीएचपी के सम्मेलनों और बजरंग दल की बैठकों में कई महीनों से चली। धर्म संसद के आयोजनों में भगवाधारी अधर्मियों ने मुसलमानों के कत्लेआम और मुसलमान महिलाओं के सामूहिक बलात्कार की धमकियाँ बिलकुल ही निर्भीक होकर दी। मध्यमार्गी मीडिया ने अपनी पूरी ताकत दिन रात भड़काऊ तस्वीरें, वीडियो और समाचार परोसने में झोंक दी। पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका ने अपनी आंखें फेर ली या फिर हल्के-फुल्के तरीके से कुछ उपदेश दे डाले। इस सबका नतीजा हुआ की उत्तर भारत के तमाम भाजपा-शासित राज्यों के तमाम इलाकों में, रामनवमी और हनुमान जयंती के कई जुलूसों में तलवार लहराते, लाठी भँजते और कट्टे दिखाते लोगों ने भाग लिया। साथ अश्लील गाने बजाते हुए डीजे चले और मुस्लिम आबादी के अंदर घुसकर, मस्जिदों के सामने नमाज के समय रुककर खूब तांडव किया गया। कहीं कहीं तो मामला टल गया लेकिन खरगौन, बड़वानी, रुड़की और जहांगीरपुरी में टकराव हुआ और पीड़ित पक्ष को ही जिम्मेदार ठहराकर, उन्हीं पर पुलिस का कहर बरपा, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हीं के घरों और दुकानों पर बड़ी बेरहमी के साथ बुलडोजर चलाये गए। (इस न्यूजलेटर में इन तमाम घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं)।

कोई संयोग नहीं कि इन्हीं दिनों में, इसी इलाके में, दलितों पर जघन्य अत्याचार हुए हैं। उ प्र के राय बरेली के एक गाँव में एक दलित लड़के से ठाकुरों ने अपने तलवे चटवाये, मध्य

प्रदेश मे चंदवासा, उज्जैन मे राजपूतों ने दलितों की बारात पर पथराव किया, रीवा मे एक नाबालिग लड़की के साथ एक तथाकथित महंत जो वेदांती के भतीजे हैं, ने बलात्कार किया और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के उन्हे सुरक्षा दी।

इसी दौर मे दो अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर मध्य प्रदेश के इटारसी और उ प्र के आगरा मे मुस्लिम परिवार के घरों और दुकान पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिये गया हैं जबकि न्यायालय ने दोनों दंपत्तियों को साथ रहने के अनुमति प्रदान की।

इस पूरे घटनाक्रम के बारे मे यह समझना जरूरी है कि तनाव या टकराव अपने आप नहीं हुए हैं, इनके पीछे लंबी तैयारी, मीडिया का उकसावा और सरकार की पूरी ताकत है। यह सब मनुवादी-हिन्दुत्व के अजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह एजेंडा अल्पसंख्यकों और दलितों, आदिवादियों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों और जान माल पर हमलों तक सीमित नहीं है। इन हमलों से पैदा घृणा, शंका और भय के माहौल का फायदा उठाकर, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों और तमाम गरीबों को बेरोजगारी, बेगार, बदहाली, असहनीय कर्ज और निर्मम शोषण से घेरकर बर्बाद किया जा रहा है और देश की संपत्ति, हवाई अड्डे से बन्दरगाह से लेकर गेहूं तक अंबानी और अडानी को सौंपा जा रहा है।

इसके जवाब मे हर स्तर का विरोध आवश्यक है। विचारधारात्मक, संगठनात्मक, राजनैतिक। लेकिन इसके साथ अपने आपको संकट का सामना करने के लिए तैयार भी करना होगा। का बृन्दा ने दिल्ली के सीपीआईएम के साथियों के साथ, कोर्ट का आदेश लेकर बुलडोजर का सामना करने की जो नजीर पेश की है जिससे पूरे देश मे एक जबरदस्त संदेश गया, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

हरियाणा की हमारी बहादुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका बहनों की ऐतिहासिक हड़ताल भी हमे यही सबक देती है। आप सोचिए, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक उनकी हड़ताल चली। कड़ाके की ठंड, मूसलाधुर बरसात और फिर जानलेवा गर्मी का सामना हमारे बहनों ने किया। लाठियाँ, गालियाँ, दुराचार सब कुछ उन्होने बर्दाश्त किया। बीमारी और मौतें भी झेली। कई घरों मे घरेलू हिंसा का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हमारी वह बहादुर बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर मे उनकी जीत हुई!

मई दिवस, जो अभी गुजरा है, उसका भी यही संदेश है – “हर मोर्चे पर संघर्ष करो! तभी हर मोर्चे पर जीतोगे!”

सुभाषिनी अली

मई दिवस – हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों की एकता की रक्षा करने के लिए उठो!

मरियम ढवले

1 मई – अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस! सभी मेहनतकश वर्गों के पुरुष और महिलाएं एकएक साथ आकर आज उस संपत्ति पर अपने अधिकार की मांग को फिर से दोहरायेंगे जो संपत्ति उन्होंने अपनी मेहनत से पैदा की है। वह संपत्ति जिसे पूंजीवादी व्यवस्था में शोषकों के द्वारा हडप लिया गया है। महामारी के दौरान, 80 प्रतिशत आबादी बिना किसी मदद के केवल सहन कर रही थी लॉक डाउन के चलते अपनी कमाई पर खोने के बाद परिवार के सदस्यों की मौतों को भी उन्होंने झेला था और अब वे अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस-भाजपा का शासन तबाही और हत्या का शातिर खेल खेलकर जिंदगी को बेहतर करने के जनता की मेहनतों को बाधित करना जारी रखे हुये है। नफरत की राजनीति मानव प्रकृति के सबसे खराब हिस्से को जिंदा कर रही है।।



अप्रैल की शुरुआत में, विशेष रूप से 10 अप्रैल को राम नवमी और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर, मुसलमानों को लक्षित करके उनके पूजाघरों, घरों, दुकानों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया। आरएसएस-भाजपा-विहिप-बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भीड़, हथियारों से लैस तलवारें, बंदूकें और रॉड, मुस्लिम क्षेत्रों के माध्यम से जुलूस निकाले, मुस्लिम विरोधी नारे लगाये और उन पर हमला किया। इनमें से अधिकांश घटनाएं नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई थीं।, आरएसएस-भाजपा द्वारा दो अंकों की मुद्रास्फीति और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण अपने जीवन में होने वाली बर्बादी से गरीबों का ध्यान भटकाने

के लिए तथाकथित गलत काम का बदला लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम सनकी रूप से किया जाता है।

मनुस्मृति जो इस घृणा का और प्रचार करती है आज सक्रिय है। मुसलमान, दलित, अदीवा, महिलाएं, असंतुष्ट और विरोधी सभी इसकी चपेट में हैं। अप्रैल के महीने में पुलिस प्रशासन की शर्मनाक मिलीभगत से सांप्रदायिक ताकतों के अहंकार का क्रूर प्रदर्शन देखने को मिला। हथियारों के निर्लज्ज प्रदर्शन के साथ रामनवमी रैलियों के लिए अनुमति, कार्रवाई के डर के बिना दंगों को भड़काने के लिए भड़काऊ नारे लगाना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आरएसएस-भाजपा उस धर्मशासित राज्य में क्या करना चाहती है जिसे वे बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को बुलडोज़रों द्वारा जमींदोज़ कर दिया जाता है। यह ऐसे समय में किया जा रहा है जब रमजान के दौरान मुसलमान रोजा रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद यह विध्वंस जारी रहा। एडवा या जनवादी महिला समिति की संरक्षक वृंदा करात के नेतृत्व में दिल्ली के साथियों द्वारा साहसिक विरोध के कारण ही जहांगीरपुरी में विध्वंस को रोका गया था।

“हिंदू राष्ट्र” एक विविधताओं से भरपूर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत को नष्ट करने की एक परियोजना है। आरएसएस-बीजेपी डर, नफरत और हिंसा के कोड़े मारते हुये शासन करना चाहते हैं। मुसलमान उनके सबसे सुविधाजनक लक्ष्य हैं। जो कोई भी नफरत की उनकी राजनीति पर आपत्ति करता है, उसे राष्ट्र-विरोधी करार दिया जाता है। एक दूसरे से घृणा करना और दुर्भावनायें रखना सामान्य होता जा रहा है क्योंकि सत्ताधारी शासन के द्वारा इसकी अनदेखी करके इसे एक तरह से मान्यता दे दी है। बहरे के समान प्रधानमंत्री की चुप्पी इस अराजकता को और बढ़ाती है। हत्यारे गुंडों का धार्मिक जुलूसों के रूप में निकलने का खतरनाक तमाशा अल्पसंख्यकों को डराने और अपमानित करने के लिए ताकत और हिंसा का एक बर्बर नमूना है।

आरएसएस के लिये एडॉल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी हमेशा ही आदर्श रहे हैं। सत्ता हासिल करने के बाद, हिटलर ने देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट कर दिया और लाखों निर्दोष लोगों को कैद कर लिया या उनकी हत्या कर दी, जिनमें कम्युनिस्ट, समाजवादी, डेमोक्रेट और निश्चित रूप से यहूदी शामिल थे, जिन्हें कमजोर या अवांछनीय माना जाता था। हिटलर को बड़े पूंजीपतियों के जर्मन शासक वर्ग द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित किया गया था। आकाश छूती मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, बैंकों का दिवालिया होना आदि उन खूनी दिनों के दौरान जर्मन लोगों द्वारा भुला दिया गया था। लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नाजी पार्टी का उद्देश्य संसदीय प्रणाली के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करना, हिटलर को तानाशाह के रूप में स्थापित करना और नस्लीय रूप से शुद्ध जर्मनों का एक समुदाय बनाना था। हिटलर ने जर्मनी की परेशानियों के लिए यहूदियों, अल्पसंख्यकों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया। बर्लिन में राइखस्टैग (संसद भवन) में लगी आग की घटना का उपयोग करते हुए, जिसके लिए कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया गया था,

हिटलर ने राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने और पूरे जर्मनी में नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने के लिए आश्वस्त किया। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस को बिना किसी कारण के नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत किया गया था।

पीएम मोदी का अपने दरबारी कारपोरेटों के प्रति पक्षपात, उन्हें रियायतें देना, उनके कर्जों को बट्टे खाते में डालना और पीएसयू को मामूली दामों पर बेचना सर्वविदित है। हिटलर ने भी कारपोरेटों को इसी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की। दोनों ने सत्ता में आने के लिए नफरत की राजनीति का इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस), नाजियों के समान एक चरम दक्षिणपंथी फासीवादी विचारधारा का अनुसरण करता है। आरएसएस ने पहले भी "मनुस्मृति" को हिंदू कानून के रूप में घोषित करते हुए भारतीय संविधान को खारिज कर दिया था, और संसद में हिंदू कोड बिल पेश किए जाने के बाद अंबेडकर के पुतले जलाए थे।

भारत इस विचार को ही व्यवस्थित रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। इससे लोकतंत्र, न्याय और समानता में विश्वास करने वाले सभी संवेदनशील और देशभक्त नागरिकों को सचेत हो जाना चाहिए। "दूसरे" को दुश्मन के रूप में फासीवादी प्रचार और फूट डालो और राज करो की शासन की नीति ने भारतीयों के एक वर्ग को सुन्न कर दिया है। यह देखना दर्दनाक है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस लक्ष्यीकरण, हत्याओं और घरों और परिवारों के विनाश से नाराज नहीं है।

अल्पसंख्यकों और लोगों की रक्षा करने के लिये केवल वामपंथी और प्रगतिशील ताकतें सड़कों पर हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद से जागें और संविधान के तहत सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठें। इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आइए हम प्रतिगामी आरएसएस-भाजपा को हमारे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र को नष्ट करने से रोकने का संकल्प लें! व्यापक एकता और जनता की बड़े पैमाने पर लामबंदी ही इन विभाजनकारी ताकतों के लिए एकमात्र जवाब है!

जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक उन्माद

मैमूना मोल्लाह, अध्यक्ष, एडवा दिल्ली समिति

भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की हिंदुत्व परियोजना के तहत “काम” जोरों पर है। उस अंत की ओर, आरएसएस का सांप्रदायिक एजेंडा मेज पर – या बल्कि सड़कों पर इफरात में है। और अब पिछले आठ वर्षों से जब से उनके नेतृत्व में एक सरकार स्थापित की गई है, वे बेशर्मी से एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यक चारा के रूप में लागू किया जा रहा है – कानूनी और शारीरिक हमले। क्रीयान्वयन के रूप बदलते रहते हैं – लिंगिग से होते हुये गो रक्षा, तीन तलाक, लव-जेहाद, 370 . 35 ए, सीएए-एनपीआर-एनआरसी, सुल्ली बुली, हिजाब, अजान-ऑन-लाउड स्पीकर त्योहार जुलूस इस लंबी और बढ़ती सूची में ध्रुवीकरण का नवीनतम साधन हैं।

चूंकि हिंदुत्व की ताकतों द्वारा हस्तक्षेप में पैटर्न सभी घटनाओं में समान है, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान है कि निश्चित रूप से एक सामान्य तरीकों और राजनीतिक उद्देश्य का पालन किया जा रहा है। धार्मिक त्योहारों पर उनके कार्य अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, लेकिन अक्सर समन्वित योजनाएं होती हैं जो केवल एक इलाके तक ही सीमित नहीं होती हैं। अक्सर समुदायों के त्योहारों के साथ भी मेल खा सकते हैं, जो परेशानी पैदा करने के लिए एक और प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करता है। मोडस ऑपरेंडी प्रत्येक मामले में लगभग समान है। उदाहरण के लिए, धार्मिक त्योहार के दिन, जैसे रामनवमी या हनुमान जयंती, हिंदुत्व ब्रिगेड के कार्यकर्ता झंडे, लाठी और अक्सर तलवार और पिस्तौल जैसे हथियारों के साथ एक जुलूस का आयोजन करते हैं। जुलूस में शामिल लोग आक्रामक और भड़काऊ नारे लगाते हैं, प्रार्थना के समय एक मस्जिद के बाहर रुकते हैं और परेशानी पैदा करने के लिए प्रवेश करने और तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से आपत्ति के परिणामस्वरूप एक झगड़ा, पथराव (या तो या दोनों पक्षों से) होता है जो एक टकराव में बढ़ जाता है। तब मुसलमानों को षड्यंत्रकारी के रूप में दोषी ठहराया जाता है जो हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं। और फिर उससे अधिक डरावना काम – उन्हें ही दंडित किया जाता है, बुलडोजर राजनीति खेल में आती है। राजनीति-पुलिस-प्रशासन का एक समन्वित गठजोड़ वास्तव में पूर्ण प्रदर्शन पर है। हाल ही में खरगोन में ऐसा हुआ था। और घर के करीब हाल ही में जहांगीरपुरी में इसे दोहराया गया था।

जहांगीरपुरी एक पुनर्वास कॉलोनी है। उस समय – जब यह आपातकाल के दौरान अस्तित्व में आया – यह दिल्ली के बाहरी इलाके में था। यह मुख्य रूप से एक श्रमिक वर्ग का इलाका है। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक, जहां यह टाली जा सकने वाली सांप्रदायिक हिंसा 16 अप्रैल 2022 को हुई थी, में मुख्य रूप से बंगाली मुसलमान रहते हैं। इन लोगों के मुख्य रूप से अपने छोटे मोटे रोजगार हैं, जो रेडी लगाने और फुटपाथ पर छोटे व्यापार, मछली की बिक्री, कचरा इकट्ठा करने जैसे काम हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि भाजपा दिल्ली

के इन वास्तविक नागरिकों को “अवैध” या “रोहिंग्या शरणार्थी” या “बांग्लादेशी” कह रही है। 16 अप्रैल 2022 की सांप्रदायिक हिंसा का यह संदर्भ है।

जहांगीरपुरी के लिए एक तथ्य-खोज मिशन से क्या पता चलता है –

वाम दलों के एक तथ्यान्वेषी दल ने 17 अप्रैल 2022 को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें एडवा दिल्ली के 3 प्रतिनिधि – आशा शर्मा (महासचिव), मैमूना मोल्लाह (अध्यक्ष) और सविता (सचिव मंडल सदस्य) शामिल थे। टीम ने कई पीड़ितों से मुलाकात की और हिंसा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की।

16 अप्रैल – क्या हुआ था ?

दोपहर से ही हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में तीन जुलूस मोहल्ले से चले गए। पहला जुलूस यद्यपि शांत था या फिर वहां के निवासियों ने ऐसा सोचा था क्योंकि बाद में जो कुछ भी हुआ उससे अब यह पहला जुलूस एक रेकी की तरह लगता है। दूसरा जुलूस मस्जिद तक गया, थोड़ा झगड़ा हुआ लेकिन दोनों पक्षों के लोगों ने संकट को टालने में मदद की। और फिर तीसरा आया – पूरी तैयारी के साथ-150-200 लोग जिसमें से ज्यादातर बाहरी थे (वहां के निवासियों ने बताया कि जुलूस में स्थानीय लोग नहीं दिख रहे थे), अपने झंडे लहराते हुए, पिस्तौल, तलवारें, क्रिकेट बैट जैसे अपने हथियारों को चमकाते हुए- जय श्री राम का नारा लगाते हुए, और “मुल्ले काटे जाएंगे”, “हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा” जैसे उत्तेजक नारे वे डीजे के तेज संगीत के बीच लगा रहे थे। उस समय जब मस्जिद में नमाज चल रही थी। निवासियों के अनुसार बजरंग दल द्वारा जुलूसों का आयोजन किया गया था। जुलूस के साथ पुलिस की दो जीपें थीं एक आगे और दूसरी उसके पीछे, लेकिन इन वाहनों में प्रत्येक जीप में एक-दो से अधिक पुलिसकर्मी नहीं थे। वे मस्जिद में तब पहुंचे जब लोग “रोजा अफतार” और शाम की नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे थे। झगड़ा तब शुरू हुआ जब जुलूस में से किसी ने झंडे के साथ मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की – मस्जिद के अंदर के लोगों ने सोचा होगा कि इरादा मस्जिद में भगवा झंडा फहराने या शायद मस्जिद में तोड़फोड़ करने का था। यह तब था जब दोनों पक्षों से पत्थरबाजी हुई, जैसा कि निवासियों ने हमें बताया था। इन सब में निवासियों ने हमें यह भी बताया कि पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई थी।

निवासियों को सदमे में थे – उन्होंने कहा कि जब से यह इलाका बना है, सभी समुदाय सद्भाव में रह रहे हैं। इस क्षेत्र में कभी एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है। लेकिन हिंसा की अगली कड़ी के रूप में जो हुआ वह भी उतना ही भयावह था। महिलाओं के लिए परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने आधी रात में क्षेत्र में छापे मारे और विभिन्न आरोपों में 14 लड़कों, सभी मुसलमानों को अंधाधुंध रूप से गिरफ्तार किया। एक घर में, महिलाओं ने हमें बताया कि, जब उन्होंने हाथ जोड़कर पुलिस से पूछा कि उनके घरों पर छापा क्यों मारा जा रहा है, तो पुरुष पुलिस ने उनके सीने और पेट पर मुक्का मारा। हमने पीएस में अन्य 6-8

व्यक्तियों को अपनी अग्निपरीक्षा शुरू होने का इंतजार करते हुए देखा। बाद में पता चला है कि अन्य समुदायों के कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

हमने जब स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा किया तो देखा कि स्थानीय भाजपा सांसद और दिल्ली भाजपा नेता पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ही उसे कब्जा करते हुये प्रेस को संबोधित कर रहे थे। और अतिरिक्त डी सी पी उसे उचित बता रहे थे इस स्पष्टीकरण के साथ कि वे आखिरकार स्थानीय सांसद हैं। पुलिस और भाजपा का गठजोड़ स्पष्ट था क्योंकि संघियों और पुलिस ने 16 अप्रैल की घटना को एक साजिश बताया है। हमारे अनुभव से यह स्पष्ट है कि यह घटना वास्तव में ही एक साजिश थी – पीड़ितों को फंसाने की साजिश, और उस क्षेत्र में कई वर्षों से व्याप्त सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के असली विघटनकर्ताओं की रक्षा करने की साजिश।

हमारे प्रश्न—

अ) क्या पुलिस ने जुलूस के लिए अनुमति दी थी ? ख) यदि नहीं, तो फिर जुलूस को जारी रखने की अनुमति क्यों दी गई, वह भी जो हथियार ले जा रहा था ? ग) जुलूस को मस्जिद के बाहर क्यों रुकने दिया गया ? घ) मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे जारी रहने के दौरान पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही ?

पुलिस की भूमिका

पुलिस की भूमिका निंदनीय रही है। सबसे पहले, पुलिस ने रोजा इफ्तार और शाम की नमाज़ के समय नारे लगाते हुए मस्जिद के बाहर रुकने के लिए एक सशस्त्र जुलूस को अनुमति दी। दूसरें उन्होंने मस्जिद के अंदर के लोगों को “षड्यंत्रकारी” के रूप में घोषित कर दिया ! और तीसरा, उन्होंने (शुरू में) केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों को गिरफ्तार किया, भले ही वीडियो के सबूत मस्जिद पर आते जुलूसों के आक्रामक और उत्तेजक व्यवहार के उपलब्ध थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा ने इस मामले में पुलिस की “सराहनीय” भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की है। जहांगीरपुरी की घटना कोई अकेला मामला नहीं है। भाजपा की ओर से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. एबीवीपी ने जेएनयू में शाकाहारी भोजन लागू करने की कोशिश की और विरोध करने वालों पर बर्बरतापूर्वक हमला किया. चावला गांव में एक फार्महाउस के केयरटेकर राजाराम की गोरक्षक के द्वारा गाय को मारने का आरोप लगाकर हत्या कर दी गयी।

बाद की घटनायें और जमींदोज की कार्यवाही

इसके बाद हुयी जमींदोज करने की कार्यवाही चाहे खरगोन हो या कुछ और, जो भी बहाना हो यह कार्यवाही हुयी। पूरे शहर में अतिक्रमण की भरमार है – न केवल पुनर्वास कॉलोनियों में, बल्कि पॉश कॉलोनियों में भी। लेकिन पुलिस या प्रशासन अमीरों को छूने की हिम्मत नहीं

जुटा पाता था। कुल्हाड़ी तो गरीबों पर ही गिरनी थी। – इस बार पीड़ितों को दंडित करने के लिए जैसे कि यह था – न्याय की अंतिम त्रासदी। 20 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट के “यथास्थिति” बनाये रखने के आदेश के बाद भी, बुलडोजरों ने एक और घंटे तक वहां के निवासियों की आजीविका के साधनों को ध्वस्त करना जारी रखा। एडवा के सदस्यों के रूप में हम गर्व से घोषणा करते हैं कि यह हमारी कॉमरेड, वृंदा करात है, जिसका समय पर हस्तक्षेप (सीपीआई (एम) पार्टी के कई और लोगों के साथ) जिसने एक बड़ी तबाही को टालने में मदद की। आरएसएस की कार्य योजना असंवैधानिक है, उस धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के खिलाफ है जो भारत है। वे भय और घृणा फैलाते हैं। समय की मांग है कि आरएसएस-बीजेपी की योजनाओं को सफल न होने दिया जाए। वे शासन में, लोगों को उनके न्यायोचित अधिकार प्रदान करने में विफल रहे हैं। इसका पर्दाफाश करने के लिए, हम मांग कर रहे हैं कि आरएसएस और उसके साथियों की शैतानी साजिश को उजागर करने के लिए एक समयबद्ध न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। हम यह भी महसूस करते हैं कि गृह मंत्रालय को पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ न केवल कर्तव्य में लापरवाही के लिए बल्कि हिंसा के दोषियों के साथ खुली मिलीभगत के लिए मामला दर्ज करना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।



जेएमएस के चल रहे हस्तक्षेप

हमारी महिलाएं जहांगीरपुरी नियमित रूप से जाती रही हैं। हमारे पास कई इकाइयां हैं और क्षेत्र में हमारा जिला कार्यालय भी है। हमने इस विध्वंस में नष्ट हुये सामान के संदर्भ में लोगों को होने वाले नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है (जब तक कि यह बंद नहीं हो जाता), और आजीविका में व्यवधान के संदर्भ में जो इस बुलडोजरीकरण के कारण हुआ है। आजीविका का नुकसान परिवार में कमाने वाले सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण भी है। हम आगे उनकी तात्कालिक और दीर्घकालिक पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन कर रहे हैं। हम इस दिशा में एक औपचारिक सर्वेक्षण भी करने जा रहे हैं। हम जीवन, आजीविका

और गरिमा के अधिकार के लिए आंदोलन करने और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को पुनः प्राप्त करने के लिए लोगों को एकजुट करने और संगठित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

आगरा – पसंद के संवैधानिक अधिकार पर नफरत का साया

(प्रतिनिधि मंडल से मिली जानकारी के आधार पर मधु गर्ग द्वारा)

आगरा हाइवे पर बसा रुनक्ता कस्बा बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के ठीक एक दिन बाद 15 अप्रैल को भयंकर नफरती राजनीति की आग का गवाह बना । धर्म जागरण संघ व बजरंग दल के गुंडों ने जिम ट्रेनर साजिद व उसके चाचा के घरों में ताले तोड़कर पहले जेवर और नकदी लूटा और फिर दोनों घरों में आग लगा दी । कारण था कि साजिद की एक जैन लड़की से निकटता थी और दोनों ने मर्जी से दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी । उल्लेखनीय है कि साजिद ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम साहिल कर लिया था किन्तु हिंदुत्व वादी गिरोह में “मर्जी” जैसा शब्द ही नहीं है और वह भी अंतरधार्मिक होने पर तो वह उनकी नजर में अपराध हो जाता है ।



आगरा एडवा और किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने लड़की से आशाज्योति केंद्र में और घर से भागे हुए पीड़ित परिवार से उनके रिश्तेदारों के घर जाकर मुलाकात की तो पूरे घटनाक्रम का उन्होंने बयान किया ।

साजिद और जैन परिवार की बेटी की निकटता पिछले पांच वर्षों से थी जिसे लेकर जैन परिवार में बहुत विरोध था । साजिद जिम ट्रेनर था । दिनांक 11 अप्रैल को जैन लड़की को उसके परिवार ने बहुत प्रताड़ित किया तब साजिद और लड़की ने दिल्ली जाने का निश्चय किया । दिल्ली में उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली जिसमें साजिद ने अपना धर्म परिवर्तन किया । जैन परिवार द्वारा अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी । 13 अप्रैल को पुलिस की भाषा में उसने जैन लड़की को दिल्ली से बरामद कर लिया और साजिद लापता हो गया । इधर आगरा के रुनक्ता कस्बे में खबर फैलते ही हिंदुत्व वादी गिरोह सक्रिय हो गया । दिनांक 14 अप्रैल को गांव के प्रधान ने गांव में पुलिस चौकी की ठीक नाक के नीचे पंचायत बुलाई । उस पंचायत में आगरा से भी हिंदुत्व संगठनों के नेताओं को भी बुलाया गया । पंचायत में हिंदू महासभा

के अध्यक्ष रौनक ठाकुर व अवधेश पंडित ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ाने वाले उत्तेजक भाषण दिये और उसी में ऐलान किया गया कि 15 अप्रैल को बाजार बंद होंगे और पुलिस ने यदि साजिद को गिरफ्तार नहीं किया तो साजिद और उनके परिवारों के घरों में आग लगा दी जायेगी । इस गैरकानूनी ऐलान के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और न ही आने वाली 15 अप्रैल की संभावित हिंसा को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त किया । दिनांक 15 अप्रैल को कांजीपाड़ा मुस्लिम बस्ती जहां साजिद और उसके चाचा का घर था, वहां गांव प्रधान 40-50 अराजक तत्वों के साथ गया और पहले ताले तोड़कर जेवर और नकदी लूटी और फिर घरों में आग लगा दी । प्रतिनिधि मंडल को साजिद के भाई मुजाहिद ने बताया कि घर में दो शादियां होने वाली थीं जिसके लिए जेवर व केश घर में रखा था । पड़ोसियों ने 112 नं पर पुलिस को बार बार फोन किया किन्तु पुलिस सब कुछ जलकर राख होने के बाद आई । साजिद और उसके परिवार वाले पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे । निश्चित रूप से पुलिस की मिली भगत के बगैर यह जघन्य कांड नहीं हो सकता था ।

साजिद के परिवार ने रिश्तेदारों के घर शरण ले रखी थी जहां प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की । साजिद के पिता अब्दुल मुगनी दयाल बाग पोस्ट आफिस में पोस्टमास्टर हैं और वे वहीं रह रहे हैं । सभी भाइयों का काम धंधा बरबाद हो चुका है । पुलिस लूटपाट का मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है । कुछ दंगाइयों को इस मामले में गिरफ्तार किया है किन्तु दंगाइयों की ओर से बराबर धमकी मिल रही है कि ईद के बाद साजिद के परिवार से बदला लेंगे । घर वाले इस कदर डरे हुए हैं कि वे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं । परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं । दंगाइयों ने हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश रची हुई थी किन्तु वहां के हिंदू मुस्लिम निवासियों के धैर्य और संयम ने इसे अंजाम नहीं होने दिया । वर्तमान में लड़की का मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुका है और उसने अपने बयान में अपनी मर्जी से शादी की बात स्वीकार की है । उसने साजिद के साथ ही रहने की सहमति दी है । अभी वह मथुरा के नारी निकेतन में है । एडवा के प्रतिनिधि मंडल ने जब उससे आगरा के आशा ज्योति केंद्र में मुलाकात की थी तब भी वह बहुत निर्भीक होकर अपनी बात कह रही थी । वह साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है । साजिद उर्फ साहिल निर्दोष होते हुए भी पुलिस और दंगाइयों के डर से सामने नहीं आ रहा है ।

यह है हमारे “नये इंडिया” के बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश की हकीकत जहां कानून का मतलब अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून हैं । यहां कानून “हम भारत के लोगों” के लिए नहीं बल्कि उनकी “जाति” “धर्म” देखकर तय किया जाता है । हिंदुत्व गिरोह हर मौके पर अल्पसंख्यकों को आतंकित कर रहा है और उसे राज्य का संरक्षण मिला हुआ है । नफरत की इस राजनीति ने जाने कितने निर्दोष नवयुवकों को तथाकथित “लव जिहाद” की आड़ में जेल भेजा है ।



एडवा व किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है जिसमें पीड़ित परिवार की सुरक्षा तथा उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है । लड़की और साजिद को कानूनी सुरक्षा तथा दंगाइयों और गैर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है । प्रतिनिधि मंडल ने परिवार को हर प्रकार की कानूनी सहायता का भी आश्वासन दिया है ।

‘जनवादी महिला समिति हरियाणा की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न’

सविता (राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति हरियाणा इकाई)

जनवादी महिला समिति हरियाणा की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला 12–13 मार्च को भिवानी जिला के सांस्कृतिक सदन में सम्पन्न हुई। कार्यशाला में 14 जिलों से 85 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 12 मार्च जनवादी महिला समिति का स्थापना दिवस होने के कारण कार्यशाला की शुरुआत राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा ने झंडा फहरा कर की। इस दौरान जनवाद, समानता, नारी मुक्ति जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए गए।

‘कार्यशाला का उद्देश्य’

कार्यशाला का उद्देश्य रखते हुए राज्य महासचिव सविता ने कहा कि यह समय महिला आंदोलन के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है उतनी ही सम्भावनाएं भी मौजूद हैं। सत्ता में बैठी सांप्रदायिक और प्रतिगामी ताकतें महिलाओं को वापिस घर की चारदीवारी में धकेलना चाहती हैं परन्तु महिलाएं उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए हर जगह सत्ता को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में हमें अपने संगठन के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए अपने कार्यों को नए ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है और हमारे संगठन की हरेक कार्यकर्ता को इस परिस्थिति में मौजूद संभावनाओं का दोहन करने के लिए अपना कौशल बढ़ाने की जरूरत है।

‘प्रथम सत्र’

कार्यशाला के प्रथम सत्र की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा ने की। इस सत्र में श्वर्तमान समय में महिला आंदोलन के परिपेक्ष्य विषय पर जनवादी महिला समिति की राज्य संरक्षक, रिटायर्ड प्रोफेसर और प्रसिद्ध कवित्री शुभा ने बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सभी लोकतांत्रिक, प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष आंदोलनों की तरह महिला आंदोलन के समक्ष भी बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। इस समय महिलाएं जहां एक तरफ देश भाजपा–आरएसएस की नवउदारवादी–सांप्रदायिक नीतियों की मार झेल रही है, वहीं दुसरी तरफ कोरोना महामारी के कुप्रबंधन का खामियाजा भी भुगत रही हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण भुखमरी, असमानता, अपराध, सामाजिक क्षेत्र के खर्चों में कटौतियां, साम्प्रदायिक और जातिवादी हमले आदि का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। उनमें भी छोटी बच्चियां, युवा लड़कियां, अल्पसंख्यक और दलित महिलाएं सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। परन्तु इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमलों ने महिलाओं में संगठित और स्वतंत्र स्फूर्त प्रतिरोध को भी बढ़ाया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाओं का बेमिसाल संघर्ष, किसान आंदोलन में महिलाओं की शानदार भागीदारी, जे.एन.यु. जामिया मिल्लिया व पिंजरा तोड़ आंदोलन में

छात्राओं की बेहतरीन हिस्सेदारी और हरियाणा में तीन महीने से हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स प्रतिरोध के खुबसूरत मिसाल हैं।

इस समय के आंदोलनों में महिलाओं की आवाज बहुत ज्यादा मुखर हैं। वें भाजपा सरकार के महिला हितैषी होने के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं और सरकार के पाखंड को खुलकर सामने ला रहीं हैं। भयानक असुरक्षा और उत्पीड़न दमन के बावजूद भी वे अपनी आजादी और अधिकारों के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रही हैं। युवा लड़कियां इस समय सबसे ज्यादा प्रतिगामी ताकतों के निशाने पर हैं। महिला आंदोलन और समाज के सभी संघर्षशील तबकों के लिए ये युवा लड़कियां बड़ी ऊर्जा हैं। उनके अंदर नेतृत्व की अपार क्षमता छिपी है। हमें ऐसे संघर्षी आंदोलनों और गतिविधियों की परिकल्पना करनी चाहिए जिनमें युवा महिलाओं की संप्रभुता अधिक से अधिक न करें और वें बड़ी सामाजिक भूमिका निभा सकें। इस समय महिलाओं के मुद्दों को सामाजिक मुद्दों की तरह स्थापित करने की जरूरत है और सभी संघर्षशील तबकों को भी व्यापक एकता कायम करते हुए बड़े संयुक्त सामाजिक संघर्ष करने की आवश्यकता है।

‘दूसरा सत्र’

दूसरे सत्र की अध्यक्षता राज्य उपाध्यक्ष शकुंतला जाखड़ ने की। इस सत्र में शसंगठन निर्माण की चुनौतियां और हमारी कार्य योजनाएँ विषय पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमति सांगवान में बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि

पिछले दिनों किसान आन्दोलन ने भाजपा आरएसएस के निरंकुश, विभाजनकारी और कॉर्पोरेट परस्त एजेंडे को दुनिया के सामने नंगा करते हुए जनता का व्यापक समर्थन जुटाते हुए भाजपा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर किया है। इस आंदोलन ने सभी जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतों के लिए बड़ी जगह खोल दी है। ऐसे में जनवादी महिला समिति के विस्तार की भी व्यापक संभावनाएं हैं। परन्तु चुनौतियों और संभावनाओं के लिहाज से हमारी सांगठनिक और वैचारिक तैयारी बहुत कमजोर है। हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता इस समय को साधारण समय की तरह मानते हुए साधारण ढंग से ही काम कर रहे हैं। हमें अपनी मनोगत स्थितियों को बदलते हुए संगठन निर्माण के काम में अपने आप को झोंकने की आवश्यकता है। इस समय अपने काम में गुणवत्ता पैदा करना व कार्यकर्ताओं का विकास करना संगठन की मांग है। यह काम अभी भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। हमें इस समय संगठन और संघर्ष, संघर्ष और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता है। संघर्ष से कार्यकर्ता पैदा होते हैं और प्रशिक्षण से नेता बनते हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं की विचारधारात्मक मजबूती के लिए उन्हें गहन प्रशिक्षण से गुजारना होगा ताकि वे अपने हक की राजनीति को पहचान पाएं।

इसी सत्र का दूसरा विषय शइकाइयों की कार्यप्रणाली व संचालनएँ राज्य केंद्र की सदस्य शीलावती ने रखा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य सम्मेलन का नारा था कि शइकाइयों को

मजबूत करो और कार्यकर्ताओं का विकास करो परंतु राज्य में इकाइयों का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनका सिर्फ सम्मेलन होता है और सदस्यता होती है। इकाई गठन के बाद इकाइयों की बैठकें नहीं करते हैं। केवल बड़ी गतिविधियों के दौरान ही इकाइयों तक पहुंचते हैं जिसकी वजह से हमारी 90: इकाईयां निष्क्रिय हैं केवल 10: इकाईयां ही आंशिक तौर पर सक्रिय हैं। कोई भी इकाई ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हो।

यह कार्यप्रणाली संगठन के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। इकाइयों को जीवंत बनाने के लिए इकाइयों की निरंतरता में बैठकें करना, स्थानीय मुद्दों पर हस्तक्षेप करना, इकाई के नेतृत्व को इलाके में स्थापित करना और जनतांत्रिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

‘तीसरा सत्र’

तीसरे की अध्यक्षता राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने की और इस सत्र में शकौशल विकास विषय पर राज्य महासचिव सविता ने बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि हमें निश्चित समय अवधि में किसी कार्य को सबसे बेहतर ढंग से करने के लिए अपने अंदर कौशल विकास करने की आवश्यकता रहती है। हर किसी में सीखने की और हुनर के विकास की क्षमता मौजूद होती है। कौशल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी कोई उम्र या सीमा नहीं होती। कौशलधुनर निरंतर सीखने व अर्जित करने की इच्छाशक्ति व क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए टीम वर्क, उपयुक्त माहौल और प्रोत्साहन की आवश्यकता रहती है। विभिन्न तरह के कौशल हासिल करने से कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व में निखार आता है और उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है जिससे वे आत्म विकास के साथ-साथ संगठन के स्तर पर पहल कदमी लेने और हस्तक्षेप करने में सक्षम होते हैं। कौशल विकास से नई चुनौतियों को सही तरह देखने और निपटने में मदद मिलती है। इसलिए हमारे हरेक कार्यकर्ता को संगठन निर्माण के लिए जरूरी कौशल हासिल करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन, मिनट्स, रिपोर्ट, भाषण, मीडिया व सोशल मीडिया के संबंध में कौशल विकास करने बारे बातचीत रखी।

तीनों सत्रों में प्रस्तुतियों के बाद प्रतिनिधियों को छह समूहों में बांटते हुए समूह चर्चाएं की गईं और बहस की प्रस्तुति की गई। जिसके बाद सभी वक्ताओं ने सवालियों के जवाब दिए।

‘आगामी कार्य’

राज्य महासचिव सविता ने आगामी कार्य बोलते हुए कहा कि 25-26 जून को करनाल में राज्य सम्मेलन होगा इससे पहले 15 अप्रैल तक इकाइयों के सम्मेलन और 30 मई तक जिलों के सम्मेलन किए जाने हैं। सभी जिला कमेटियां इस कार्यशाला की रोशनी में इकाई व जिलों के सम्मेलन आयोजित करें। उन्होंने कहा कि 3 महीने से हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स के प्रति राज्य सरकार बेहद असंवेदनशील रुख अख्तियार किए हुए हैं। इसके खिलाफ 19 मार्च को महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री के

विधानसभा क्षेत्र कलायत में विशाल जन पंचायत होगी। संगठन की सभी जिला इकाई स्तर पर ध्यान चलाते हुए इस जन पंचायत में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करवाएं। इस साल देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के सभी जन संगठनों ने सांझा-विरासत, सांझा-संघर्ष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जनवादी महिला समिति भी इसका हिस्सा है। पूरा साल चलने वाले इन कार्यक्रमों की शुरुआत शहीदे-आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस 23 मार्च से हरियाणा भर में सभी जिलों पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए की जाएगी। राज्य महासचिव ने जनवादी महिला समिति की इकाइयों से इन कार्यक्रमों में शामिल होने और अपने स्तर पर भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।

अंत में राज्य कमेटी ने भिवानी जिले कमेटी वॉलंटियर्स साथियों को धन्यवाद दिया और गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

खरगोन मध्य प्रदेश में प्रशासन की शह पर सांप्रदायिक तनाव

वामपंथी दलों के संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट

रामनवमी के अवसर पर खरगोन में हुए साम्प्रदायिक दंगे और स्थिति का जायजा लेने के लिए 25 अप्रैल को संयुक्त जांच दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों और आम जनता से बात की और इस घटना के पीछे की साजिश का पता लगाकर समाज के साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों को बेनकाब किया जा सके। जांच दल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, सचिव मंडल सदस्य कैलाश लिंबोदिया, इंदौर सचिव सी एल सरावत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इंदौर सचिव रुद्रपाल यादव और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव स्वरूप नायक शामिल थे।

जांच दल के अनुसार दंगे की पृष्ठभूमि इस प्रकार है –

1. पिछले एक साल से विभिन्न अवसरों पर खरगोन में दोनों समुदायों में तनाव पैदा करने की साजिश हो रही है। 10 मार्च को जब भाजपा उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती तब खरगोन में निकाले गए विजय जुलूस में भी न केवल मस्जिद के बाहर उत्पात मचाते हुए आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, मस्जिद प्रांगण में भी पटाखे फेंक कर उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की गई।

2. रामनवमी पर आमतौर पर एक जुलूस निकलता है। इस बार भी जब पहला जुलूस निकला तो अल्पसंख्यक समुदाय ने भी उसका स्वागत किया। जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की। तालाब चौक पर उस जुलूस के शांतिपूर्वक समापन हो जाने के बाद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम महाजन ने न केवल जुलूस को अल्पसंख्यक बस्ती में ले जाने की जिद की, बल्कि एडीशनल एसपी नीरज चौरसिया को देख लेने की धमकी दी बल्कि तुरंत तबादला करवा देने का डर भी बताया।

3. वहीं से सबको 2 बजे तालाब चौक पर एकत्रित होने के उत्तेजक आवाहन किये गए। वहां पर शाम 5.30 बजे तक भीड़ को एकत्रित होने दिया गया। भीड़ के पास धारदार हथियार भी थे। वे उत्तेजक और एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। इसी भीड़ ने मस्जिद के बाहर जब नमाज के लिए लोग एकत्रित हो चुके थे, आपत्तिजनक नारे और गाने बजाए। जिससे विवाद पैदा हुआ। यह जुलूस बिना अनुमति निकाला गया और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा।

4. यह जुलूस दंगे का कारण बना। इसका नेतृत्व अनिल कंट्रोल वाला और राहुल दूध डेयरी वाला कर रहे थे। जिनके आरएसएस और उनके विभिन्न संगठनों से रिश्ते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम महाजन तो जुलूस में थे ही, दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा भी खरगोन

में थे और खतरनाक ट्वीट कर रहे थे। जो साबित करता है कि भाजपा संघ परिवार हर कीमत पर दंगा करना चाहता था।

5. सूत्रों के अनुसार इंटेलीजेंस रिपोर्ट में आठ दिन पहले ही प्रशासन को हर स्तर पर सूचना दे दी गई थी कि रामनवमी पर साम्प्रदायिक टकराव हो सकता है। इस सूचना के आधार पर अगर उचित कदम उठाए होते तो इस दंगे को टाला जा सकता था। मगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्वीकारा है कि तालाब चौक पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं था।

6. रामनवमी पर हुए विवाद में पुलिस अधीक्षक सहित पांच लोगों को गोली लगना बताया जाता है। इस घटना के बाद गृहमंत्री के बयान कि पत्थरबाजों के घरों को पत्थरों का ढेर कर दिया जाएगा, के बाद तो प्रशासन और पुलिस ने एकतरफा कार्यवाही की मुहिम ही चला डाली जो अभी भी जारी है।

7. प्रशासन की ओर से तोड़े गए सभी मकान और दुकाने अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। वह मकान दंगाग्रस्त क्षेत्र से डेढ़ दो किलोमीटर दूर की बस्तियों में भी तोड़े गए हैं, जहां दंगा हुआ ही नहीं।

यह कार्यवाही इसलिए भी एकतरफा दिखाई पड़ती है कि तालाब चौक की मस्जिद की 9 दुकानों को तोड़ा गया। तीन हिंदू दुकानदारों को तो दुकान तोड़ने से पहले अपना सामान निकालने के लिए कहा गया, जबकि मुस्लिम दुकानदारों का सामान भी दुकानों के साथ ही नष्ट कर दिया गया। सारी कार्यवाही बिना सूचना और बिना किसी आदेश के की गई है। अब न तो जिला प्रशासन और न ही कलेक्टर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है।

8. ऐसे ऐसे घरों को तोड़ा गया है, जो तीस तीस साल पहले के बने हुए थे, जिनकी पास पानी बिजली के बिल भी हैं और हाउस टैक्स की रिपोर्ट भी। इसमें हसीना फाखरू का मकान भी तोड़ दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। दोनो हाथ कटे होने के बाद भी पत्थर फेंकने के आरोप में वसीम शेख की गुमटी भी तोड़ दी गई। अयूब खान की 70 साल पुरानी 7 दुकानों को तोड़ दिया गया, जबकि उसके पास पूरे कागजात भी हैं। वह किसी दंगे में भी शामिल नहीं था। उसकी दुकानें इसलिए तोड़ी गई हैं क्योंकि उसके पीछे भाजपा नेता श्याम महाजन की जमीन है। वह उसे बार बार इन दुकानों को उसे बेचने को कहता था, मगर अब दंगे का बहाना बनाकर उसकी दुकानों को तोड़ दिया गया।

9. प्रशासन की सारी कार्यवाही एकतरफा है। जिस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय को आरोपी बनाया गया है, ऐसे लगता है जैसे वोटरलिस्ट को सामने रखकर नाम लिखे गए हों। अल्ताफ अस्पताल में भर्ती था, मगर उसका नाम भी दंगाइयों में है और उसका मकान भी तोड़ दिया गया। आजम 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कर्नाटक में था और उसका मकान भी तोड़ दिया गया है।

10. शिवम शुक्ला घायल हैं। पहले उसे गोली लगने की बात कही गई, अब पत्थर लगने की बात कही जा रही है। एसपी सहित जिन पांच लोगों को गोली लगी है, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है?

11. रमजान के महीने में भी शहर की सारी मस्जिदों को बंद कर रखा गया है। उन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा है। यदि धार्मिक स्थल बंद करना है तो दोनों ही तरफ के होने चाहिए थे। मगर ऐसा नहीं किया गया है।

इदरीस की मौत

इस दंगे में सबसे महत्वपूर्ण पहलू इदरीस उर्फ सद्दाम की मौत का है। प्रश्न यह है कि जब 11 अप्रैल को ही उसकी मौत हो गई थी तो उसे 18 अप्रैल तक क्यों छिपाया गया?

यह सब क्यों हुआ?

खरगोन और बड़वानी में 10 विधान सभा सीटें हैं। यदि पिछले चार विधान सभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो 2003, 2008 और 2013 में भाजपा 6 या 7 सीटों पर जीत दर्ज करती रही है। मगर 2018 के विधान सभा चुनावों में भाजपा 10 में से 9 विधान सभा सीटें हारी है। इसी हार को वह नहीं पचा पा रही है और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने की साजिशें कर रही है।

हमारी मांगें

1. बिना अनुमति के निकले जलूस में जो लोग धारदार हथियार और तीन बंदूक लेकर चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। एकतरफा कार्यवाही को रोका जाए।
2. जिन मकानों और दुकानों को बिना न्यायालीन आदेश या कलैक्टर के आदेश के गिराया गया है। उन सबके नुकसान का आंकलन कर उसे तुरंत पूर्ण मुआवजा दिया जाए। इस अवैधानिक कार्यवाही को करने वालों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।
3. सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए और वहां इबादत करने की अनुमति दी जाए।
4. इदरीस की मौत की सीबीआई जांच की जाए।

'कश्मीर फाइल्स' – 32 साल की 'खामोशी' और 'सच' के सामने आने का दावा

अखिल विकल्प



विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' लगातार सुर्खियों में है। कश्मीरी पण्डितों के पलायन पर बनी यह 'फिल्म', अपनी बुनावट, पटकथा, छायांकन, यहां तक कि अनुपम खेर समेत अन्य अभिनेताओं के बेहतरीन अभिनय से भी अधिक दूसरे कारणों से चर्चा में है। ये दूसरे कारण हैं, यह दावा कि फिल्म 32 साल की 'खामोशी' के बाद 'सच' को सामने लाई है।

फिल्म के आते ही एक व्यापक प्रचार चला है कि कश्मीरी पण्डितों के बारे में अब सबको पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि फिल्म न आई होती तो किसी को पता ही न चलता कि कश्मीर में कभी कश्मीरी पण्डितों पर हमला भी हुआ था और उनका पलायन हुआ था। जबकि वास्तव में, देश के तमाम तबकों के लोग, न केवल राजनैतिक समझ रखने वाले, बल्कि थोड़ी-बहुत जागरुकता रखने वाले सभी लोग, यह जानते थे कि कश्मीर में कश्मीरी पण्डितों पर हमला हुआ था और उनका पलायन हुआ था।

कश्मीरी पण्डितों के संदर्भ में दो बातों पर चर्चा अवश्य थी। पहली यह कि कितने कश्मीरी पण्डितों का पलायन हुआ, कितनों की हत्या हुई। यह जानकारी आवश्यक भी थी क्योंकि इसके बिना पुनर्वास की योजना बनाना सम्भव नहीं था, साथ ही कितनों की हत्या हुई, इससे राजनैतिक चुनौती की गहराई और प्रशासनिक तंत्र की वो तमाम कमजोरियां सामने आतीं जिन्हें दुरुस्त किया जाना है। यह कार्य निसंदेह सरकार का था, क्योंकि वह सरकार ही है जिसे पुनर्वास की योजना बनानी है, उसे अंजाम देना है, उसी के पास इतनी बड़ी मशीनरी है कि वह इस काम को कर सके।

दूसरी जिस बात पर चर्चा थी, वह यह थी कि कश्मीरी पण्डितों के अलावा कश्मीरी मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की भी हत्या हुई थी। यह बात करनी भी आवश्यक है। मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा मुस्लिमों की हत्या अथवा हिन्दुत्ववादी ताकतों द्वारा इंसपेक्टर सुबोध सिंह या गौरी लंकेश की हत्या यह दर्शाती है कि साम्प्रदायिक तत्ववादी किसी के सगे नहीं होते और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को चुप करा देते हैं। इससे अलगाववादी ताकतों को अलग-थलग करने और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक जनमत बनाने में मदद मिलती है।

दिलचस्प है कि इन दोनों बातों का उल्लेख फिल्म में भी है। फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका में खलनायिका की तरह प्रस्तुत पल्लवी जोशी भी यह कहती है कि कश्मीरी पण्डितों को मारा गया और वह संख्या को लेकर आपत्ति करती है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी यही कहता है कि कश्मीरी पण्डितों का **exodus** यानि पलायन नहीं बल्कि उनका **genocide** मतलब नरसंहार हुआ है। अर्थात् फिल्म के अनुसार भी कम से कम पलायन की चर्चा तो मौजूद ही है, जबकि मिथुन के अनुसार चर्चा में नरसंहार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही फिल्म अनुपम खेर का पोता बना दर्शन कुमार भी विश्वविद्यालय में अपने अंतिम भाषण में इसका जिक्र करता है कि कश्मीरी पण्डितों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों और मॉडरेट (उदारवादी) मुसलमानों को मारा गया था।

अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री समेत इस फिल्म का जोर-शोर से प्रचार करने वाली भाजपा की सरकार ने कोई आयोग बनाकर इन पूरे प्रकरण की सच्चाई जानने और कश्मीरी पण्डितों के पुनर्वास की कोशिश क्यों नहीं की? भाजपा के लिए यह कार्य कठिन भी नहीं था। कश्मीरी पण्डित हमेशा से उसके एजेण्डे में रहे हैं। विपक्षी दलों में भी किसी ने उनके पुनर्वास की बात का विरोध नहीं किया है। भाजपा केन्द्र में 8 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है और पहले भी 6 वर्ष तक वह सरकार चला चुकी है। इस प्रकार इन 32 सालों में वह 14 सालों तक सरकार में रही है। इस बीच उसने पी0डी0पी0 के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार भी चलाई थी। पर इस बीच भाजपा ने अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाजपा भी फिल्म का ही इंतजार कर रही थी।

भाजपा के ऐसा करने का वास्तविक कारण है कि यदि वह ऐसा कोई आयोग बनाती तो उसके द्वारा जुटाये गये आंकड़ों और विश्लेषणों को कई सवालों और कई स्तरों से गुज़रना पड़ता। जबकि फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो फिर भी सच्चाई के कुछ दावे कर सकती हैं, परन्तु फिल्म तो अंततः फिल्म ही होती है और उसमें एक कहानी होती है। इसीलिए फिल्में सत्य पर आधारित हो सकती हैं पर सत्य नहीं। सिनेमा की भाषा में इसे 'सिनेमेटिक लिबर्टी (Cinematic Liberty)' अर्थात् सिनेमा के नाम पर छूट कहा जाता है। पूर्व में भी कई फिल्में और कहानियां/उपन्यास आये हैं। तमस, आधा गांव, झूठा सच, जैसे उपन्यास मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, बैण्डित क्वीन, बवंडर जैसी फिल्में आई हैं, पर वे 'सत्य पर आधारित' हैं, सच नहीं। यहां तक कि कश्मीरी पण्डितों के उत्पीड़न को लेकर

भी विधु विनोद चोपड़ा की 'शिकारा' नामक एक फिल्म 2020 में आई थी। उसके बारे में भी फिल्मकार का यह दावा था कि वह सत्य घटनाओं पर आधारित है।

इसलिए वास्तव में समूची भाजपा इस फिल्म की आड़ लेकर, इस फिल्म के पीछे अपना एजेण्डा लिए खड़ी है। इस एजेण्डे को समझने के लिए पहले इस प्रचार को समझना आवश्यक है कि सब खामोश थे और अब 'सच' सामने आया है। यह प्रचार केवल भाजपा का ही नहीं है बल्कि फिल्मकार का भी है। 'कोई कुछ बोल नहीं रहा था', यह बात फिल्म की कथावस्तु में एक हद तक थोपी गई है। यहां तक कि फिल्म का मुख्य कलाकार अनुपम खेर इतना खामोश रहता है कि वो अपने पोते तक को यह नहीं बताता कि उसके माता, पिता और भाई को आतंकवादियों ने मारा था। वो अपने पोते को सच क्यों नहीं बता पाया, यह पूरी फिल्म में समझ में नहीं आता। फिल्म में अनुपम खेर का मित्र पत्रकार था, जिसने 'सच्ची घटनाओं' को छिपाया। उसने कारण बताया कि उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि पत्रकारों को सुरक्षा नहीं मिलती और कश्मीर में अब तक 19 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। अब प्रश्न यह है कि पत्रकारों की हत्या क्यों हुई? जाहिर है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लिख रहे थे। (जिसका हालिया उदाहरण पत्रकार शुजीत बुखारी की हत्या है)। परन्तु फिल्मकार को यह दिखाना था कि सब चुप थे, इसलिए उसने उसी पत्रकार को दिखाया जो चुप था।

वस्तुतः इस एक बात को साबित करने के लिए कि सब खामोश थे, फिल्म ने कश्मीरी पण्डितों द्वारा या अन्य किसी भी सामाजिक-राजनैतिक ताकत द्वारा उत्पीड़न के प्रतिरोध को सिरे से गायब कर दिया गया है। इसलिए फिल्म में 3 ही तरह के लोग हैं, पहला उत्पीड़न करने वाले, यानि आतंकवादी जो मुसलमान थे, दूसरे पीड़ित पक्ष जो कश्मीरी पण्डित थे और तीसरा वे बुद्धिजीवी जिन्होंने सच्चाई को झुठलाने का काम किया। पीड़ित पक्ष से कश्मीरी मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को गायब कर दिया गया और प्रतिरोध करने वाली ताकतों को भी गायब कर दिया गया।

इसके चलते फिल्म भाजपा-संघ की पसंदीदा 'हिन्दू-मुस्लिम' बाईनरी की पोषक बन गई। फिल्मकार ने भी इसे बनाने में पूरी भूमिका निभाई। जैसे फिल्म के अंत में हिंसा के दृश्य। फिल्म के अंत में दर्शन कुमार के भाषण के बाद उन दृश्यों का कोई औचित्य नहीं था। यदि फिल्म की मांग के अनुसार वे दृश्य आवश्यक भी माने जायें तो भी उन्हें फिल्म के बीच में होना चाहिए जहां बाकी उत्पीड़न की घटनाओं का चित्रण है। परन्तु फिल्म में जानबूझकर इन्हें अंत में डाला गया जिससे दर्शक फिल्म के अंत में किसी सवाल या विचार के साथ नहीं बल्कि घृणा के साथ उठे।

इसके अलावा भाजपा द्वारा प्रचारित अवधारणाओं का भी पूरा उपयोग किया गया है। जैसे अनुपम खेर द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग। पूरी फिल्म में कहीं भी अनुच्छेद

370 और आतंकवाद के बारे में कोई भी सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है। अनुपम खेर को क्यों ये लगता है कि आतंकवाद का कारण अनुच्छेद 370 है, इसका उत्तर फिल्म में नहीं है।

फिल्म का सबसे खतरनाक पहलू है, सच्चाई को झुठलाने वाले प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का खलनायक के रूप में एकतरफा चित्रण। इसके लिए स्पष्ट रूप से कुछ न कह कर बिम्बों का सहारा लिया गया है। अनुपम खेर अपने पोते से कहता है कि कभी आज़ादी वालों के साथ मत खड़े होना। फिल्म में दोनों नारे दिखाये गये हैं, आतंकवादियों का 'कश्मीर मांगे आज़ादी' और दर्शन कुमार के विश्वविद्यालय का 'मनुवाद से आज़ादी'। सवाल ये है कि क्या आज़ादी शब्द समान होने से दोनों नारे एक हो जाते हैं? पर फिल्म दोनों को एक ही साबित करने की कोशिश करती है। पल्लवी जोशी को सभी उदारवादी चिन्तकों का प्रतिनिधि बनाते हुए उसे कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थक दिखाया गया है, जबकि वास्तव में ऐसे बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत कम है।

ऐसे प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उन्हें बहुत ही प्रभावशाली दर्शाया गया है। पल्लवी जोशी दर्शन कुमार को कश्मीर में आतंकवादी का सम्पर्क देते हुए यहां तक दावा कर देती है कि कश्मीर में सरकार 'उनकी' है पर सिस्टम 'हमारा'। दर्शन कुमार, जिसके खुद के मां-बाप, भाई को आतंकवादियों ने मार डाला था, जो उसे पता भी था, वह पल्लवी जोशी से इतना प्रभावित था कि वह अपने मां-बाप के हत्यारे आतंकवादी से मिलकर आता है और अपने दादा के दोस्त मिथुन से कहता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मिथुन के अनुसार उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। बाद में दर्शन कुमार विश्वविद्यालय में एक भाषण देता है और ऐसा भाषण देता है कि सुनने वालों में दो फाड़ हो जाती है, एक तबके से एक लड़की उसे चुप रहने को कहती है तो दूसरे तबके का एक लड़का उसे बोलने को कहता है और पल्लवी जोशी अंततः उठ कर चली जाती है। ऐसा प्रस्तुत किया गया है जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली पूरी जमात मूर्ख है जहां कभी पल्लवी जोशी उसे झूठ बता जाती है तो कभी दर्शन कुमार सच।

फिल्म की ऐसी बुनावट के चलते ही इस फिल्म पर प्रोपेगण्डा फिल्म (Propaganda Film) होने का आरोप लगाया जा रहा है। फिल्म ने यह कार्य कर भी दिया। फिल्म को लेकर एक उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है। यह पहली बार है कि फिल्म का प्रमोशन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है और हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि वो फिल्म की तारीफ क्यों नहीं करते? फिल्मकारों से पूछा जा रहा है कि वो इसे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? जो फिल्म पर कोई अलग राय व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें जैसे आतंकवादी के समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले लोग कहां हैं? पर फिल्म के सामने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न ही कहां है? अगर फिल्म को लेकर विवाद होता, जैसे बैण्डित क्वीन, पद्मावत, शूद्र आदि पर हुए थे, तब तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल का कोई अर्थ होता। पर यहां तो लोगों पर फिल्म थोपने का प्रयास किया जा रहा है।

फिल्म को लेकर प्रचार है कि वह 32 साल की खामोशी की बाद सच सामने लाई। इसलिए अब उस पर बात होनी चाहिए, लोगों को चुप्पी तोड़नी चाहिए। अब सबसे खतरनाक बात यही है कि चुप्पी तोड़ने का अर्थ क्या है? लोग चुप्पी कैसे तोड़ रहे हैं? यदि लोगों में साम्प्रदायिकता विरोधी भावना मज़बूत होती, या कश्मीरी पण्डितों के पुनर्वास के प्रश्न पर चर्चा होती तो यह एक सार्थक तरीके से चुप्पी तोड़ने की बात होती। पर यह न तो फिल्मकारों की मंशा थी और न ही उसका प्रचार कर रही सरकार की। वास्तव में फिल्म के द्वारा हिन्दुत्ववादी शक्तियों ने अपने चिर-परिचित साम्प्रदायिक प्रचार कि मुसलमान बुरे होते हैं, कट्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, आदि के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले मुसलमान के खिलाफ घृणा भरने का काम किया है।

सिनेमा हॉल में मुस्लिम विरोधी नारे, सोशल मीडिया में ज़हर भरे प्रचार के द्वारा, देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं को वैसा ही मुस्लिम विरोधी, धर्म निरपेक्ष हिन्दुओं का विरोधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमानों को हिन्दुओं और धर्म-निरपेक्ष मुसलमानों का विरोधी बनाने का प्रयास किया गया था। यह एक विडम्बना ही है कि जिन आतंकवादियों के खिलाफ यह फिल्म होने का दावा करती है, वास्तव में इस फिल्म की आड़ लेकर संघ-भाजपा देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं को उसी दिशा में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं।

मजदूरों का एक गीत

मंजीत मानवी

बोल उठा मजदूर सुनो, संघर्ष हमारा नारा है
पूँजी की मजदूर विरोधी सत्ता को ललकारा है

1 अर्थव्यवस्था चौपट करके मंदी इसे बताते हैं
मजदूरों के हक के सब कानून पलटते जाते हैं
इन तानाशाह मंसूबों से, सीधा जंग हमारा है
पूँजी की मजदूर विरोधी

2 मेहनतकश की दुख तकलीफें, हर दिन बढ़ती जाती हैं
भूख गरीबी बेरोजगारी, हर पल हमे सताती है
दमन के इस बेरहम चक्र से, पाना अब छुटकारा है
पूँजी की मजदूर विरोधी.....

3 कॉर्पोरेट सट्टा पूँजी के दंश फैलते जाते हैं
ऊपर से फिर जात धरम , नफरत का जाल बिछाते हैं
काम का पूरा दाम मिले न, मुश्किल हुआ गुजरा है
पूँजी की मजदूर विरोधी.....

4 हर कोने से उठी है आँधी, अब न रोकी जाएगी
गाँव शहर और गली गली मे, कड़ी ये जुड़ती जाएगी
एक हो हम सब बोल उठे, सारा संसार हमारा है
पूँजी की मजदूर विरोधी.....

मजबूत राष्ट्र में जो टूट नहीं पाये

फरीद खां

राष्ट्र की सबसे मजबूत सरकार,
अपने कदमों से जब नापती है एक राष्ट्र की आबादी
तो उसे वैज्ञानिक भाषा में बुलडोजर कहते हैं.
अब स्मृतियों और सपनों का
एक विशाल मलबा बनेगा एक राष्ट्र
और उस मलबे पर फहराएगा एक मजबूत ध्वज.
आ रही है हर दिशा से
मजबूत सरकार के कदमों की आहट.
एक मजबूत राष्ट्र में कुछ लोग टूट नहीं पाए.
भगत सिंह और महात्मा गांधी के कत्ल के बाद भी
मजबूत राष्ट्र में कुछ लोग टूट नहीं पाए.
दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी,
गौरी लंकेश और चंदू के कत्ल के बाद भी
सत्ता के विशाल प्रेक्षागृह में जारी
कत्ल के अतिरंजित मंचन के बाद भी
जिनको सबक नहीं मिला.
जो एक वक्त खा कर भी भूखों नहीं मरे,
जिनकी आस्था का संयम ही हत्यारों को चुभता है.
कानों में गरम और पिघला उकसाने वाला
नारा डाले जाने के बावजूद, जो धैर्य की साँस लेते रहे.
उनके धैर्य को नापने को
उठे हैं मजबूत राष्ट्र के मजबूत कदम.

नफरतों के दौर में मोहब्बत का पैगाम देती महिलायें – कुछ फोटो



“नफरत के खिलाफ” लखनऊ



कानपुर रोजा इफ्तार दावत



लखनऊ रोजा इफ्तार दावत





ग्वालियर रोजा इफतार दावत